न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 716/2023
अनवान : –

1. सुरेश कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. याकूब पुत्र रफीक जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. सादक अली पुत्र रफीक जाति मुसलमान निवासी नोहर।
3. हारून पुत्र रफीक जाति मुसलमान निवासी नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्त० अधि० 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 18/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता संख्या 153/76 के ख०न० 247/21 की 5.4253 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 20020/54253 हिस्सा, प्रतिवादी स० 1 अकेली 20020/54253 हिस्सा, प्रतिवादी स० 2 अकेला 2788/54253 हिस्सा, प्रतिवादी स० 3 अकेला 11425/54253 हिस्सा भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि मुश्तरका खाता की भूमि है तथा वाद भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज होने के कारण वादी के साथ प्रतिवादीगण वाद भूमि को लेकर सींव व लगान का झगड़ा रहता है तथा काश्त सम्बधी झगड़ा रहता है। इसलिए वादी वादग्रस्त भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग प्रतिवादीगण से अलग करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता व लगान अलग करवा ले तो कुछ समय तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा राजीनामा पेश किया गया की हम पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा रोही मौजा ब्राहमणवासी के खाता संख्या 153/76 के ख0न0 247/21/1 की 0.2788 हैक्ट भूमि वादी की रहेगी। याकुब, सादक अली, हारून पुत्रगण रफीक जाति मुमसलान साकिन नोहर के पास खाता संख्या 157/76 के ख0न0 247/21/2 की 5.1465 हैक्ट भूमि जमाबंदी मे दर्ज हक व हिस्से अनुसार रहेगी। इसी अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की राज्य हितों को सुरक्षित रखा जाकर वाद का निस्तारण किया जाना उचित है।

प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। वादी के वाद के संबंध में पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता संख्या 153/76 के ख0न0 247/21 की 5.4253 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 20020/54253 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 अकेली 20020/54253 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 अकेला 2788/54253 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 अकेला 11425/54253 हिस्सा भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी ने खाता व लगान अलग करवाने हेतु वाद पेश किया है। कोई भी सहखातेदार काश्त की सुविधा के हिसाब से अपना खाता व लगान अलग करवा सकता है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं पक्षकारान के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा पक्षकारान के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ब्राहमणवासी के खाता संख्या 153/76 के ख0न0 247/21/1 की 0.2788 हैक्ट भूमि का

वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 याकुब, सादक अली, हारून पुत्रगण रफीक जाति मुससलान साकिन नोहर को खाता संख्या 157/76 के ख0न0 247/21/2 की 5.1465 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो रहन को पक्षकारान के हिस्से पर यथावत रखते हुए उपरोक्तानुसार अनुसार मुताबिक नजरीय नक्शा खाता व लगान अलग कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:41 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 716/2023

अनवान : –

1. सुरेश कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. याकूब पुत्र रफीक जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. सादक अली पुत्र रफीक जाति मुसलमान निवासी नोहर।
3. हारून पुत्र रफीक जाति मुसलमान निवासी नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 716 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षकारों की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ब्राहमणवासी के खाता संख्या 153/76 के ख0न0 247/21/1 की 0.2788 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 याकुब, सादक अली, हारून पुत्रगण रफीक जाति मुससलान साकिन नोहर को खाता संख्या 157/76 के ख0न0 247/21/2 की 5.1465 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो रहन को पक्षकारान के हिस्से पर यथावत रखते हुए उपरोक्तानुसार अनुसार मुताबिक नजरीय नक्शा खाता व लगान अलग कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:41 IST
Reason: SelfAttested